न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भरतपुर

(पीठासीन अधिकारीः नरेश कुमार मालव, आर0ए0एस0)

अपील संख्या 106/2016

1. कमलसिंह
2. बाबूलाल

} पिसरान खुन्नी जाति जाटव निवासी ग्राम भूतौली तहसील वैर जिला भरतपुर

..... अपीलान्टान

बनाम

1. लालाराम पुत्र बूचा
2. रूपन
3. अजय } पुत्रान लालाराम
4. विजय
5. मु0 बत्ती बेबा शिवसिंह
6. नरेन्द्र
7. गज्जो } पुत्रान शिवसिहं
8. सतीश

} जाति जाट निवासी ग्राम भूतौली तहसील वैर जिला भरतपुर

..... **रैस्पोडेन्टान**

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 01.07.2016 तहसीलदार वैर अन्तर्गत धारा 225 आर.टी.एक्ट, तहसीलदार वैर पत्रावली संख्या 1/15

उपस्थित :

1. श्री लोकेन्द्रनाथ चतुर्वेदी वकील अपीलान्टान।
2. श्री प्रमोद कुमार उपमन वकील रैस्पोडेन्टान।

अपील संख्या 119/2016

1. लालाराम पुत्र बूचा
2. रूपन
3. अजय } पुत्रान लालाराम
4. विजय
5. मु0 बत्ती पत्नी शिवसिंह
6. नरेन्द्र
7. गज्जो } पुत्रान शिवसिहं
8. सतीश

जाति जाट निवासी ग्राम भूतौली तहसील वैर जिला भरतपुर

. .....अपीलान्टान

बनाम

1. कमलसिंह
2. बाबूलाल

पिसरान खुन्नी जाति जाटव निवासी ग्राम भूतौली तहसील वैर जिला भरतपुर

. ..... रैस्पोडेन्टान

.

. अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 01.07.2016 तहसीलदार वैर
. अन्तर्गत धारा 225 आर.टी.एक्ट, तहसीलदार वैर पत्रावली संख्या
. 1/15

उपस्थित :

1. प्रमोद कुमार उपमन वकील अपीलान्टान।
2. श्री लोकेन्द्र नाथ चतुर्वेदी वकील रैस्पोडेन्टान।

निर्णय **दिनांक 12.12.2019**

अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपीलें तहसीलदार वैर के आदेश दिनांक 01.07.2016 के खिलाफ पेश की गई हैं। अपीलाधीन आदेश में तहसीलदार वैर ने प्रार्थी0 कमलसिंह वगै0 द्वारा लालाराम वगै0 के खिलाफ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183 (बी) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को निरस्त किये जाने एवं अप्रार्थीगण का अवैध विक्रय पत्र के अनुसार कब्जा होने से आर.टी.एक्ट की धारा 175 के तहत कार्यवाही हेतु प्रकरण उपखण्ड अधिकारी वैर के न्यायालय में दर्ज कराये जाने की आज्ञा पारित की गई है। तहसीलदार वैर के उक्त निर्णय के

खिलाफ अपीलान्ट/प्रार्थी0 कमलसिंह वगै0 अपील संख्या 106/16 एवं अपीलान्ट लालराम वगै0 ने अपील संख्या 119/16 प्रस्तुत की गई हैं।

प्रस्तुत दोनों अपीलों को दर्ज रजिस्टर कर, रेस्पो0 की तलबी की गई। तहत पत्रावली तहसीलदार वैर से तलब की गई। प्राप्त तहत पत्रावली सलंग्न की गई है। प्रस्तुत उक्त दोनों अपील में एक ही पक्षकारान हैं तथा अपीलाधीन आदेश एवं निर्णायक बिन्दू भी समान होने से उक्त दोनों अपीलों की एक ही बहस सुनी जाकर एक ही आदेश से निर्णय किया जा रहा है।

योग्य अभिभाषक अपीलान्ट कमलसिंह वगै0. ने अपने तर्को में अपील में अंकित कथनों को दोहराते हुये जाहिर किया कि प्रार्थी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार वैर के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183 बी आर. टी.एक्ट के तहत रेस्पो0 लालाराम वगै0 के खिलाफ पेश किया गया था। योग्य अभिभाषक अपीलान्ट का तर्क है कि रेस्पों0 लालाराम वगै0 का विवादित आराजी पर विधि अनुकूल कब्जा नहीं है और धारा 42 आर.टी.एक्ट के प्रावधानों के अन्तर्गत बोईड है, इस बिन्दू पर तहसीलदार वैर ने कोई ध्यान नही दिया, और विधि विरुद्ध प्रार्थी/अपीलान्ट कमलसिंह का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया गया। उनका यह भी तर्क है कि रेस्पो. लालाराम वगै. जिस विक्रय पत्र के आधार पर अपना अधिकार बता रहे हैं वे कानून की निगाह में शून्य है और ये आर.टी.एक्ट के प्रावधानों के खिलाफ काबिज हैं। उन्होने बताया कि तहसीलदार वैर इस तथ्य को स्वीकार करते हैं तो फिर तहत न्यायालय को प्रार्थना पत्र धारा 183 बी स्वीकार कर रेस्पो. लालाराम वगै0 से अपीलान्ट कमलसिंह वगै0 को कब्जा दिलाने का आदेश पारित करना चाहिये था, परन्तु तहसीलदार वैर नियमों की अनदेखी कर नियम विरुद्ध अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अपील संख्या 106/16 स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 01.07.16 निरस्त किये जाने एवं प्रार्थना पत्र धारा 183 बी स्वीकार किये जाने की प्रार्थना की ।

योग्य अभिभाषक रेस्पो/अपीलान्ट लालाराम वगै. ने अपनी बहस में अपील में अंकित कथनों को दोहराते हुये जाहिर किया कि अपीलाधीन आदेश नियम विरुद्ध पारित किया गया है। योग्य अभिभाषक रेस्पो./अपीलान्ट का कहना है कि रेस्पो लालाराम वगै. विवादित आराजी पर काबिज खातेदार काश्तकार हैं। प्रार्थीगण के पिता लालाराम ने विवादित आराजी को जरिये रजिंस्टर्ड बैयनामा दिनांक 03.06.1974 द्वारा अपीलान्ट/रेस्पो के पिता खुन्नी से खरीद किया था तथा कब्जा प्राप्त किया था। योग्य अभिभाषक अपीलान्ट/रेस्पो का तर्क है कि तहत न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश में कोई साक्ष्य वगै0 नहीं ली गई है जब कि

धारा 183 बी की कार्यवाही एक नियमित बाद की श्रेणी में आती है लेकिन तहत न्यायालय ने संक्षिप्त कार्यवाही मानते हुये कानून के खिलाफ निर्णय पारित किया है। तहत न्यायालय ने बिना कोई तनकी कायम किये, साक्ष्य लिये विवादित आराजी को धारा 175 के तहत कार्यवाही हेतु एस.डी.ओ. को भेजे जाने की जो आज्ञा दी है वह विधिसम्मत नहीं है। तहत न्यायालय को इस प्रकार का आदेश देने का कोई अधिकार नहीं है। अपील संख्या 119/16 स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जाने की प्रार्थना की गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया योग्य अभिभाषक उभय पक्ष के कथनों पर गौर किया। तहत पत्रावली का अध्ययन किया गया। तहत पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि कमलासिंह वगै. ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183 बी आर.टी.एक्ट विरुद्ध लालराम वगै0 पेश किया गया है, जिसमें विवादित आराजी खसरा नम्बर 36 रकवा 2 बीघा 16 विस्वा के 1/2 हिस्से पर लालाराम वगै0 द्वारा जमीन पर किये गये अतिक्रमण को खाली करवाये जाने एवं प्रार्थी कमलसिंह वगै0 को कब्जा दिलाये जाने एवं खड़ी फसल को दिलाये जाने की प्रार्थना की गई है। जिस पर तहसीलदार वैर ने उभय पक्षकारान को सुना जाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अपीलाधीन आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित आराजी अनुसुचित जाति वर्ग की भूमि है। विवादित आराजी के 1/2 हिस्से को लालाराम पुत्र बूचा ने रजिस्टर्ड बैयानामा से खरीद किया गया है। अनुसुचित जाति वर्ग से सर्वण जाति वगै0 के व्यक्ति द्वारा विवादित आराजी खरीद की गई है, इस प्रकार का हस्तांतरण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 की स्पष्ट उलंघन की तारीफ में आता है। तहसीलदार वैर द्वारा अपने निर्णय में विस्तृत विवेचन करते हुये अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जिसमें हम किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं समझते हैं। अतः उक्त दोनों अपीलें काबिल खारिज के रहती हैं।

उपरोक्त विवेचनानुसार उक्त दोनों अपील खारिज की जाती है। निर्णय प्रति के साथ तहत पत्रावली तहसीलदार वैर को वापिस लौटाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 12.12.2019 को सुनाया गया।

(नरेश कुमार मालव)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
भरतपुर